राजस्व वाद 51 / 2018
जीसीएमएस नंबर 2018 / 00107
मांगु सिंह बनाम अजीत सिंह वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास अभिलाषा , आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :51 / 2018

वादीगण–

1. मांगुसिंह पुत्र नाथुसिह जाति राजपूत निवासी भिणियाद खास तहसील जायल, जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. अजीतसिंह पुत्र मांगुसिंह **फौत के कायम मुकामात**
   1/1 किरण कंवर पत्नी अजीत सिंह
   1/2 रेखा कंवर पुत्री अजीत सिंह
   1/3 शैलेन्द्रसिंह पुत्र अजीत सिंह
   1/4 जीवराज सिंह पुत्र अजीत सिंह
   जातियान– राजपूत, निवासीगण भिणियाद खास, तहसील–जायल, जिला–नागौर।
2. गिरवरसिंह पुत्र नाथुसिंह
3. स्वरूप कंवर पुत्री नाथुसिंह
4. प्रेम कंवर पत्नी हिम्मतसिंह
5. अभय सिंह पुत्र हिम्मतसिंह
6. देवेन्द्र सिंह पुत्र हिम्मतसिंह
7. मैना कंवर पुत्री हिम्मतसिंह
8. सरोज कंवर पुत्री हिम्मतसिंह
9. मनीष कंवर पुत्री हिम्मतसिंह
10. संतोष कवंर पत्नी गजेन्द्रसिंह
11. मनोहर सिंह पुत्र गजेन्द्र सिंह
12. सम्पत सिंह पुत्र गजेन्द्र सिंह
    जातियान– राजपूत, निवासीगण भिणियाद खास, तहसील–जायल, जिला–नागौर।
13. धन्नाराम पुत्र मंगलाराम जाति नायक निवासी भिणियाद खास तहसील जायल।
14. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री शैलेन्द्र सिंह कालवी वादीगण की ओर से
2. श्री इस्लामुदीन काजी प्रतिवादी संख्या 1 से 12 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 13 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।
4. प्रतिवादी संख्या 14 राजपैरोकार उपस्थित

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 51/2018
जीसीएमएस नंबर 2018/00107
मांगु सिंह बनाम अजीत सिंह वगैरह

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 12 हाजरी श्री इस्लामुदीन काजी व प्रतिवादी संख्या 14 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया मौजा भिणियाद खास के खेत खसरा नं. 33,49,129,18, 130 के सहखातेदार/ पक्षकारान् के मध्य भूमि का विभाजन तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है।

·2024

1. वादी मांगुसिंह के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा भिणियाद खास का खेत खसरा नंबर 129 रकबा 3.0351 हैक्टेयर में से 1.1736 हैक्टेयर मध्य भाग व खेत खसरा नंबर 130 रकबा 0.9712 हैक्टेयर में से रकबा 0.2023 हैक्टेयर दक्षिणी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता हैं
2. प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 क्रमश किरण कंवर पत्नी अजीत सिंह 1/4 भाग, रेखा कंवर पुत्री अजीत सिंह 1/4 भाग, शैलेन्द्र सिंह 1/4 भाग , जीवराजसिंह 1/4 भाग के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त एवं सहखातेदारी में मौजा भिणियाद खास का खेत खसरा नंबर 33 रकबा 0.0405 हैक्टेयर गैर मुमकिन बाड़ा, खसरा नंबर 49 रकबा 0.1862 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 129 रकबा 3.0351 हैक्टेयर में से 1.1574 हैक्टेयर दक्षिणी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।
3. प्रतिवादी संख्या 4 से 9 प्रेम कंवर, अभयसिंह, देवेन्द्रसिंह, मैना कंवर, सरोज कंवर, मनीष कंवर प्रत्येक का 1/6 भाग के हक बंट कब्जा काश्त एवं सहखातेदारी में मौजा भिणियाद खास का खेत खसरा नंबर 129 रकबा 3.0351 हैक्टेयर में से रकबा 0.6070 हैक्टेयर उतरी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 130 रकबा 0.9712 हैक्टेयर में से 0.7608 हैक्टेयर उतरी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते है।
4. प्रतिवादी संख्या 2 गिरवर सिंह के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा भिणियाद खास का खेत खसरा नंबर 18 रकबा 5.8598 हैक्टेयर में से 1.4649 हैक्टेयर पूर्वी उतरी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
5. प्रतिवादी संख्या 10 से 12 क्रमश सन्तोष कंवर , मनोहर सिंह, सम्पत सिंह प्रत्येक का 1/3–1/3 भाग के हक बंट कब्जा काश्त सहखातेदारी में मौजा भिणियाद खास का खेत खसरा नंबर 18 रकबा 5.8598 हैक्टेयर में से रकबा 1.4650 हैक्टेयर पूर्वी दक्षिणी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।
6. प्रतिवादी संख्या 13 धन्नाराम पुत्र मंगलाराम जाति नायक के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा भिणियाद खास का खेत खसरा नंबर 18 रकबा 5.8598 हैक्टेयर में से

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

रकबा 2.9299 हैक्टेयर पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

7. वादी संख्या 1 मांगुसिंह, प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4, प्रतिवादी संख्या 4 से 12 तथा प्रतिवादी संख्या 2 जातियान समस्त राजपूत के सामलाती हक बंट में मौजा भिणियाद खास का खेत खसरा नंबर 129 रकबा 3.0351 हैक्टेयर में से 0.0971 हैक्टैयर माफिक नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 130 रकबा 0.9712 हैक्टेयर रकबा 0.0081 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार भूमि रास्ते हेतु रखी जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।
8. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।
9. नजरीनक्शा निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 31/07/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

तीज – **मुबलिग** – **बाबत्** –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner